

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
जीरो पाइंट, विधान नगर, रायपुर

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में सहायक मार्शल के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु
जारी विज्ञापन**

नवीन विज्ञापन

क्रमांक 1304/विस/स्था/2018

दिनांक 20 /07/2018

(I) छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में सहायक मार्शल के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में दिनांक 04 अगस्त, 2018, तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हैं -

1. शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा की तिथि एवं समय के संबंध में पृथकतः सूचित किया जायेगा।
2. परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा शुल्क आदि के विवरण-

परीक्षा केन्द्र	-	रायपुर
परीक्षा शुल्क -		
सामान्य वर्ग	-	350/-
अन्य पिछड़ा वर्ग	-	250/-
अनु. जाति/अनु.जनजाति	-	200/-

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान (वेतन मेट्रिक्स/लेवल)
		अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक मार्शल	3	1	2	1	-	-	-	-	-	7	35400- 112400 लेवल 8

3. रिक्त पदों में आरक्षण, पात्रता की शर्तें, वांछित न्यूनतम शैक्षणिक/शारीरिक अर्हताएं अन्य नियम एवं शर्तें छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर उपलब्ध हैं ।
 4. विज्ञापित पद केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं ।
 5. रिक्त पदों में आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गेर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा ।
 6. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (II) **सहायक मार्शल के पद की न्यूनतम शैक्षणिक/शारीरिक अर्हताएं-**
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और पुलिस विभाग में उप-निरीक्षक का पद धारित करने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त हों ।
अभ्यर्थी की शारीरिक अर्हताएं निम्नानुसार होनी चाहिये ।
- (क) ऊंचाई - 168 से.मी. या उससे अधिक
- (ख) सीना - बिना फुलाये 81 से.मी. तथा फुलाने पर 86 से.मी. (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना आवश्यक है, इस बिन्दु पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी)
- (ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिये ।
- (घ) अभ्यर्थी में नाकनी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिये, यह अनिवार्य शर्त है । साथ ही सभी उम्मीदवारों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये । अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये । आंखों की दृष्टि बिना चश्में के एक आंख की 6/6 तथा दूसरे आंख की बिना चश्में के 6/9 से कम नहीं होना चाहिये । मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये ।

(III) **(क) परीक्षा/चयन पद्धति :-**

(1) शारीरिक नापजोख :-

प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2006 के नियम-8 के उप नियम (3) अनुसार किया जायेगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जावेगा । शारीरिक

नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में दिनांक एवं स्थान, अभ्यर्थी को पृथक से सूचित किया जायेगा ।

(2) शारीरिक दक्षता परीक्षा :-

शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने संबंधी अनुमति पत्र, केवल शारीरिक नापजोख में सफल हुए अभ्यर्थियों को दिया जायेगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी, जिसे 05.40 मिनट में पूर्ण करना होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालीफाईंग होगी एवं इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जायेंगे तथा इसमें असफल अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा और उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(ख) लिखित परीक्षा-

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जावेगा । लिखित परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 02.30 घंटे की होगी । इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे । परीक्षा केन्द्र के संबंध में पृथक से सूचित किया जायेगा ।

- (IV) **यात्रा व्यय-** सहायक मार्शल के पद पर भर्ती हेतु बुलाये गये छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थानीय (मूल) निवासी को जो कहीं सेवारत न हो, एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने पर छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व दिया जायेगा जिसके लिये वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता से संबंधित सभी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं यात्रा व्यय संबंधी लाभ नहीं मिलेगा ।

(V) **नियम व शर्तें-**

1. उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर में सृजित पदों के आधार पर हैं । रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है, पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

2. सभी श्रेणियों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है ।
3. उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की विधि, ऑनलाईन फीस पेमेंट की विधि, तथा अन्य विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर आवेदन करने की तिथि से देखा जा सकता है ।
4. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र जीवित (वैद्य) होना अनिवार्य होगा । आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।
5. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
6. आयु सीमा दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा राज्य शासन द्वारा देय सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । आयु सीमा में छूट राज्य शासन के प्रचलित नियमों अनुसार होगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक न हो परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल/निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी ।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

- i यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।
- ii छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

- iii ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं को योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परंतु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण - "छंटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- iv ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतीक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- v सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी, 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।
- vi स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- vii आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक सी-3/10/85/3-1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

viii राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुणडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

ix छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

महत्वपूर्ण टीप :-

(क) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 23.01.2017 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे- छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ख) आयु की गणना दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में की जाएगी ।

7. संसद एवं विधान मण्डल में कार्य का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ।
8. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा।
9. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

10. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा ।
11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है । चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी ।
12. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए उसके पश्चात अर्जित की गई कोई भी योग्यता को मान्य नहीं किया जाएगा ।
13. विज्ञापित पदों में अंतिम रूप से चयनित पात्रताधारी आवेदकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में मेरिट आधार पर एक प्रतीक्षा सूची संधारित की जाएगी जो एक वर्ष की अवधि के लिए वैद्य रहेगी । आवश्यकतानुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज पात्र/सफल उम्मीदवारों को मेरिट आधार पर अवसर प्रदान किया जा सकेगा ।

उपरोक्त शर्तें स्वीकार होने पर ही आवेदक उपरोक्त पद हेतु आवेदन करें । सम्पूर्ण विज्ञापन इस सचिवालय के वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर उपलब्ध है ।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में आवेदन किया है तथा उनमें से जो आवेदक इस विज्ञप्ति में निर्धारित शारीरिक अर्हताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । किंतु ऐसे आवेदक जो निर्धारित शारीरिक अर्हताएं पूरी न करते हैं, वे सहायक मार्शल पद के लिए अपात्र माने जाएंगे । ऐसे अपात्र आवेदकों को उनके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया परीक्षा शुल्क निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ति करने की स्थिति में वापस लौटा दिया जाएगा ।

ऐसे आवेदकों को विधान सभा की वेबसाइट से निर्धारित प्रपत्र डाउनलोड कर, उसमें वांछित जानकारी की पूर्ति उपरांत उसे ई-मेल cgvsonline@gmail.com पर विधान सभा सचिवालय को दिनांक 10.08.2018 के पूर्व प्रेषित करना होगा । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।



सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा